न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/441 दर्ज तिथिः–01.07.2025

1. रिड़मलराम पुत्र गजाराम
2. चतराराम पुत्र गजाराम
   जाति माली निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र जेताराम
2. रायमलराम पुत्र प्रागाराम
3. वरजांगाराम पुत्र प्रागाराम
4. शंकरराम पुत्र गजाराम
5. सुजाराम पुत्र प्रागाराम
6. सांवलाराम पुत्र प्रागाराम
7. चम्पादेवी पुत्री गजाराम
8. जामताराम पुत्र प्रागाराम
9. तेजाराम पुत्र जेताराम
10. ताराराम पुत्र जेताराम
11. भगवानाराम पुत्र जेताराम
12. भगवानाराम पुत्र प्रागाराम
13. मीठाराम पुत्र जेताराम
    जाति माली निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

14. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः– श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणगणः– श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः– 05.01.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 का बाबत घोषणा, हक्कदार व स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये

Signature Not Verified
Digitally signed by KeshavKumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा–53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 1676 / 6.1350 है0 मौजा गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादीगण को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादीगण को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05 ता 06 एवं 08 ता 13 असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय हाजिर हुए। शेष प्रतिवादीगण के बावजूद विधिवत तामिल अनुपस्थित रहने से शेष प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादीगण संख्या 01, 09, 10, 11 एवं 13 ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक कब्जे काश्त की आराजी है जो मेगा हाईवे पर अवस्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 01, 09, 10, 11 एवं 13 का संयुक्त 1 / 3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण वर्तमान में वहामी बंटवारा के आधार पर संलग्न परिशिष्ट–स के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजी प्रतिवादीगण द्वारा समतल कर उपजाऊ बनाई गई है। अंत में प्रतिवादीगण संख्या 01, 09, 10, 11 एवं 13 द्वारा परिशिष्ट–स के अनुसार प्रतिवादीगण की आराजी का पृथक खाता कायम करते हुए वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है। इसी प्रकार प्रकरण में प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 08 एवं 12 ने उपस्थित न्यायालय होकर जवाब दावा मय प्रतिदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पैतृक कब्जे काश्त की आराजी है जो मेगा हाईवे पर अवस्थित है। जिसमें प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 08 एवं 12 का संयुक्त 1 / 3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। प्रतिवादीगण वर्तमान में वहामी बंटवारा के आधार पर संलग्न परिशिष्ट–ब के अनुसार मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। उक्त आराजी प्रतिवादीगण द्वारा समतल कर उपजाऊ बनाई गई है। अंत में प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 08 एवं 12 द्वारा परिशिष्ट–ब के अनुसार प्रतिवादीगण की आराजी का पृथक खाता कायम करते हुए वादीगण का स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रकरण में प्रतिवादीगण के जवाब का वादीगण द्वारा जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण की पैतृक कब्जे काश्त की आराजी मेगा हाईवे के खसरा संख्या 1881/1663 के सेढासेढ पर स्थित है। जिसमें वादीगण का कब्जा–काश्त के साथ रहवासी मकान, विद्युत कनेक्शन आदि लिये हुए हैं। अतः संलग्न परिशिष्ट–अ के अनुसार वादीगण का खाता पृथक करते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की कब्जे काश्त की आराजी में दखलअंदाजी नहीं करने बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन है।

4. प्रकरण में निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गयेः–

1. *आया वादीगण संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन परिशिष्ट–अ के आधार पर करवाने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे वादीगण

2. *आया वादीगण संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पष्चात् विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे वादीगण

3. *आया प्रतिवादीगण संख्या 01, 09, 10, 11 एवं 13 संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा व वहामी बंटवाड़ा अनुसार खाता विभाजन परिशिष्ट–स के आधार पर करवाने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 01, 09, 10, 11 एवं 13

4. *आया प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 08 एवं 12 संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर कब्जा व वहामी बंटवाड़ा अनुसार खाता विभाजन परिशिष्ट–स के आधार पर करवाने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे प्रतिवादीगण संख्या 02, 03, 05, 06, 08 एवं 12

5. *आया प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 03, 05 ता 06 एवं 08 ता 13 संयुक्त आराजी का मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड दर्ज हिस्सा अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स खाता विभाजन करवाने के पष्चात् विरूद्ध वादीगण स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।*

   ....जिम्मे 01 ता 03, 05 ता 06 एवं 08 ता 13

6. *अन्य दादरसी।*

   ....उभयपक्षकारान

5. तत्पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता वादीगण द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया। इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे बहस का निवेदन किया गया। प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता वादीगण द्वारा वाद के कथनों को दौहराते हुए मुतनाजा आराजी पर वादीगण के रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार परिशिष्ट–अ के अनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

पृथक कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान—ए—बहस विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा दौरान—ए—बहस जवाब दावा के कथनों को दौहराते हुए प्रतिवादीगण की दर्ज रिकॉर्ड हिस्सानुसार आराजी परिशिष्ट—ब एवं परिशिष्ट—स के आधार पर पृथक करते हुए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया गया।

6. प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 25.08.2025 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/2025/1782 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादीगण द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक पत्रांक/कोर्ट/2025/1782 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 03.11.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी/गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2656—2669 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 03.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त वादीगण एवं प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़ामालानी के नोटिस पत्रांक 2656—2669 दिनांक 17.09.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 03.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

7. प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2072–2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 1676 / 6.1350 है0 मौजा गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। वादीगण की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस एवं पक्षकारान सहमति के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

8. प्रकरण में वादीगण द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादीगण के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

9. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान / अतिक्रमण किया जा रहा हो / किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न / अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे / होने वाले संभावित अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक / मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

2.	जब अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत / संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण / व्यवधान / घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई / क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

10. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादीगण का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादीगण का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादीगण की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादीगण का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

11. अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 32/6.1676/6.1350 है0 मौजा गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस व जांच [illegible] तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रिड़मलराम पुत्र गजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	1676	0.6708 है.	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.6708 है0					
शंकराराम पुत्र गजाराम चम्पादेवी पुत्री गजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	5112 / 6708 1677 / 6708	गुड़ामालानी	1676	0.6708 है.	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.6708 है0					
चुतराराम पुत्र गजाराम चम्पादेवी पुत्री गजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	5112 / 6708 1677 / 6708	गुड़ामालानी	1676	0.6708 है.	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.6708 है0					
कानाराम पुत्र जेताराम तेजाराम पुत्र जेताराम ताराराम पुत्र जेताराम भगवानाराम पुत्र जेताराम मीठाराम पुत्र जेताराम	1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5	गुड़ामालानी	1676	2.0127 है.	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.0127 है0					
जामताराम पुत्र प्रागाराम भगवानाराम पुत्र प्रागाराम रायमलराम पुत्र प्रागाराम वरजांगाराम पुत्र प्रागाराम सूजाराम पुत्र प्रागाराम सांवलाराम पुत्र प्रागाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6	गुड़ामालानी	1676	2.0128 है.	बा0दो
कुल किता 01 रकबा 2.0128 है0					
राजस्थान सरकार	पूर्ण	गुड़ामालानी	1676	0.0971	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0971 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक–दुसरे के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2025/441 दर्ज तिथिः–01.07.2025

1. रिड़मलराम पुत्र गजाराम
2. चतराराम पुत्र गजाराम
   जाति माली निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................वादीगण

बनाम

1. कानाराम पुत्र जेताराम
2. रायमलराम पुत्र प्रागाराम
3. वरजांगाराम पुत्र प्रागाराम
4. शंकराराम पुत्र गजाराम
5. सुजाराम पुत्र प्रागाराम
6. सांवलाराम पुत्र प्रागाराम
7. चम्पादेवी पुत्री गजाराम
8. जामताराम पुत्र प्रागाराम
9. तेजाराम पुत्र जेताराम
10. ताराराम पुत्र जेताराम
11. भगवानाराम पुत्र जेताराम
12. भगवानाराम पुत्र प्रागाराम
13. मीठाराम पुत्र जेताराम
    जाति माली निवासी गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

.................असल प्रतिवादीगण

14. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.............तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीगणः– श्री मोहनलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणगणः– श्री रामजीवन विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–:पर्चा डिक्रीः–

दावा वादीगण अन्तर्गत धारा– 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

आराजी खसरा संख्या 32/6.1676/6.1350 है0 मौजा गुड़ामालानी पटवार हल्का गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा—ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादीगण डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग—अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	हिस्सा	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
रिड़मलराम पुत्र गजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	पूर्ण	गुड़ामालानी	1676	0.6708 है.	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.6708 है0					
शंकराराम पुत्र गजाराम चम्पादेवी पुत्री गजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	5112 / 6708 1677 / 6708	गुड़ामालानी	1676	0.6708 है.	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.6708 है0					
चुतराराम पुत्र गजाराम चम्पादेवी पुत्री गजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	5112 / 6708 1677 / 6708	गुड़ामालानी	1676	0.6708 है.	बा0दो0
कुल किता 02 रकबा 0.6708 है0					
कानाराम पुत्र जेताराम तेजाराम पुत्र जेताराम ताराराम पुत्र जेताराम भगवानाराम पुत्र जेताराम मीठाराम पुत्र जेताराम	1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5 1 / 5	गुड़ामालानी	1676	2.0127 है.	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 2.0127 है0					
जामताराम पुत्र प्रागाराम भगवानाराम पुत्र प्रागाराम रायमलराम पुत्र प्रागाराम वरजांगाराम पुत्र प्रागाराम सूजाराम पुत्र प्रागाराम सांवलाराम पुत्र प्रागाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6 1 / 6	गुड़ामालानी	1676	2.0128 है.	बा0दो
कुल किता 01 रकबा 2.0128 है0					
राजस्थान सरकार	पूर्ण	गुड़ामालानी	1676	0.0971	बा0दो0
कुल किता 01 रकबा 0.0971 है0 रास्ता प्रयोजनार्थ					

उक्तानुसार पक्षकारान अपने—अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक—पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि एक—दूसरे के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल करने या ही किसी प्रकार के कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested

काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो। खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 05.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.01.06 16:05:24 IST
Reason: SelfAttested